<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, (मध्य अंचल) अशोक मार्ग, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**47 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री रविन्द्र सिंह, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-47 / 11, दिनांक 05.05.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **यह पूछा गया है कि निर्माण निगम को फार्म-3 डी की सुविधा अनुमन्य है अथवा नहीं** ?

2. फर्म की ओर से श्री रविन्द्र सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उन्होंने बताया कि वर्ष 97-98 में उत्तर प्रदेश व्यापार कर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को फार्म-3डी की सुविधा थी अथवा नहीं, के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं।

3. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न वर्ष 97-98 से तथा व्यापार कर अधिनियम से सम्बन्धित है तथा धारा-59 की परिधि में नहीं आता है। अत: व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

4. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 जून, 2011

ह0 / 14.06.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।